भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 272
21 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम

272. **श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:**
श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्य योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एनपी-एनसीडी के माध्यम से गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय जनसंख्या में विभिन्न प्रकार के गैर-संचारी रोगों की व्याप्तता संबंधी आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का गैर-संचारी रोगों की जांच करने और उनका शीघ्र पता लगाने के लिए अवसंरचना का पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत एनसीडी की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और आघात (एनपीसीडीसीएस) निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। पिछले कुछ सालों में, कई नई बीमारियों या बीमारी-समूह/नई पहल को एनपीसीडीसीएस में शामिल किया गया है, जैसे कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग, क्रोनिक किडनी रोग, एसटीईएमआई आदि, इसलिए इस योजना को वर्तमान प्ररूप में रहते हुए सभी प्रकार के गैर-संचारी रोगों को सम्मिलित करते हुए एक नए नाम की आवश्यकता

है। इस आशय से, मंत्रालय ने मई 2023 में 'एनपीसीडीसीएस' का नाम बदल कर इसका नाम "राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी)" करने का निर्णय लिया है।

देश में एनएचएम के तहत और सम्पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के भाग के रूप में सामान्य गैर-संचारी रोगों, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसरों का निवारण नियंत्रण, और स्क्रीनिंग के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल की गई है। इस पहल के अंतर्गत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य गैर-संचारी रोगों (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सामान्य कैंसर, जैसे मुख, स्तन और गर्भाशय) के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। इन सामान्य गैर-संचारी रोगों की इस स्क्रीनिंग को आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के तहत सेवा प्रदायगी का एक अभिन्न हिस्सा बनाया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार एनएचएम के तहत (एनपीसीडीसीएस) को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण

ii. मानव संसाधन विकास

iii. स्वास्थ्य संवर्धन

iv. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र योजना के तहत 30 वर्ष और उससे अधिक आबादी की स्क्रीनिंग

v. शीघ्र निदान और प्रबंधन

vi. समुचित स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केंद्र को रेफरल

एनपी-एनसीडी के अंतर्गत 724 जिला एनसीडी क्लीनिक, 210 जिला कार्डियक केयर यूनिट, 326 जिला डे केयर सेंटर और 6110 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

एनसीडी के रोगियों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के तहत विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में उपचार मिल रहा है, जिसमें आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी), जन स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स, केंद्रीय सरकारी अस्पताल और निजी क्षेत्र के अस्पताल जैसे केंद्रीय संस्थान शामिल हैं। गरीब और जरूरतमंद रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों में उपचार या तो मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाला होता है।

आईसीएमआर की अध्ययन रिपोर्ट "भारत: राष्ट्र के राज्यों का स्वास्थ्य" - भारत का राज्य-स्तरीय रोग बोझ पहल: 2017 (https://www.healthdata.org/sites/default/files/files/policy_report/2017/India_Health_of_the_Nation%27s_States_Report_2017.pdf.) के अनुसार, भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडीज) का अंश 1990 में 30.5% की तुलना में बढ़कर 2016 में 55.4% हो गया है। इसका विवरण निम्न प्रकार है:

रोग का नाम	मुख्य रोग समूह में अंश	
	1990	**2016**
ईश्केमिक हृदय रोग	3.7%	8.7%
मधुमेह	0.7%	2.2%
उच्च रक्तचाप	3.9%	8.5%

एबी-एचडब्ल्यूसी योजना के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत समुदाय स्तर पर आरोग्य गतिविधियों के संवर्धन और लक्षित संचार के माध्यम से एनसीडी निवारण पहलू को मजबूत बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, एनपी-एनसीडी एनएचएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार एनसीडी के लिए जागरूकता सृजन करने वाले (आईईसी) कार्यकलाप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हृदयरोगों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना और सतत समुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ आहार को भी प्रोत्साहित किया जाता है। "फिट इंडिया" आंदोलन को युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, और आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न योग संबंधित कार्यकलाप करवायी जाती हैं।

****